

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 (Road) 2018/FCA/PCCF/ CCFEDS -I Jaipur dated 17.5.2019

Executive Engineer, PWD Bari Dholpur के द्वारा धौलपुर जिले के वन मंडल धौलपुर में Construction of BT Road From Sone Ka Gurja Road Km. 16/100 to Indora Village, Tehsil-Sirmathura, District-Dholpur (Rajasthan). under RRSMP scheme funded by the World Bank के निर्माण कार्य हेतु 4.2703 है0 वन क्षेत्र के अनारक्षण के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/16024/2015 पर दिनांक 14.10.2015 को रजिस्टर किया गया है।

इस कार्यालय से पूर्व में 2.8 है0 वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव संशोधित कर 4.2703 है0 के मुख्य वन संरक्षक भरतपुर द्वारा प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III भिजवाये गये हैं। प्रस्ताव का परीक्षण किए जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:-

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या A-III में अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम एस0एन0मथुरिया है जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में आवेदक राकेश वर्मा अंकित है अपेक्षित संशोधन प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-b में संलग्न KML file में चौड़ाई में एक रूपता नहीं है जबकि एरिया केलकुलेशन में प्रस्तावित लम्बाई की चौड़ाई एक है अतः तदनुसार KML file संशोधित किया जाकर संशोधित GT Sheet & DGPS map संलग्न किये जाने प्रस्तावित है। DGPS map में प्रस्तावित वन भूमि के अक्षांश देशान्तर संख्या एवं चेनऐज अंकित नहीं किये गये हैं।
3. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या D में विकल्प एवं उनका विवरण संलग्न किये गये हैं। किन्तु उसमें प्रभावित वन क्षेत्र एवं उनकी CD संलग्न नहीं की गई है।
4. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र 4.27 हैव का संलग्न किया गया है किन्तु आवेदित वन क्षेत्र 4.2703 है0 है संशोधित वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में जिला कलेक्टर द्वारा 4.27 है0 गैर वन भूमि आबंटित की गई है किन्तु प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.2703 है0 है। संशोधन किया जाकर संशोधित KML file, GT Sheet & DGPS map संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।
6. यूजर ऐजेन्सी द्वारा ऑनलाईन ग्रामवार एरिया केलकुलेशन शीट एवं संलग्न एरिया केलकुलेशन शीट में अन्तर है जिसका संशोधन किया जाना प्रस्तावित प्रस्तावित है।
7. प्रस्ताव में हार्ड प्रति में संलग्न वचनवद्धताएँ ऑनलाईन प्रस्ताव से भिन्न है दोनो में एकरूपता रखा जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त वचनवद्धताओं में प्रस्ताव संख्या, प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण संलग्न नहीं है।
8. प्रस्ताव में प्राप्त गैर वन भूमि का जी0टी0शीट पर अंकन किया हुआ है जिसमें उक्त क्षेत्र वन सीमा के अंतर्गत आता है जबकि उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त क्षेत्र वनखण्ड की सीमा में नहीं है अतः वन सीमा को संशोधित करते हुए जी0टी0शीट पर अंकन किया जावे।
9. उप वन संरक्षक के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना अंकित किया गया है किन्तु पार्ट II के बिन्दु संख्या 11 में नहीं होना अंकित है। ऑनलाईन संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन के संबंध में भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.1.2018 के अनुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट संलग्न करे।
10. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना 1130148.00 की संलग्न की गई है जो स्वीकृत मॉडल (164100.00 प्रति है0) से अधिक है मॉडल से राशि अधिक लिए जाने की टिप्पणी एवं योजना मुख्य वन संरक्षक भरतपुर से अनुमोदित करा संलग्न करे।
11. गजट नोटिफिकेशन की प्रति ऑनलाईन नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना मुख्य वन संरक्षक भरतपुर से ली जानी प्रस्तावित है।

17/5/2019
(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR